

To

निविदा प्रपत्र का मूल्य : **RS.300/-**

निविदा प्रपत्र नं.:- _____ दिनांक : _____

पावती नंबर :- _____ दिनांक : _____

निविदा जारी करने की तिथि : **17.03.2026**

निविदा प्रपत्र वितरित करने की तिथि : **18.03.2026** से **27.03.2026**

निविदा खोलने की तिथि : **30.03.2026**

निविदा संबंधित शर्तें :

- संपूर्ण रूप से भरी हुई निविदाएँ पंजीकृत डाक द्वारा या विद्यालय कार्यालय(**Tender Box**) में प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक : **27.03.2026** शाम 5.00 बजे तक रहेगी | इस तिथि के बाद मिली हुई निविदाएँ स्वीकार्य नहीं होगी |
- निविदादाता (**Bidder**) निविदा(**Bid**) प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अपने दस्तावेज 2 बंद लिफाफों जिसमें पहला लिफाफा **टेक्निकल बिड**(इस लिफाफे में फर्म के समस्त दस्तावेज-जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आयकर विवरणी, ईएमडी/एसडी डिमांड ड्राफ्ट, फर्म रजिस्ट्रेशन दस्तावेज/दुकान/शोरूम/विनिर्माण इकाई पंजीकरण प्रमाणपत्र (नवीनतम), अधिकृत डीलर/वितरक/निर्माता प्रमाणपत्र (नवीनतम) एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज) एवं दूसरा लिफाफा **फाइनेंसियल बिड** (इस लिफाफे में निविदादाता द्वारा भरी निविदा प्रपत्र – (Filled In Tender Form) शामिल हैं) टेक्निकल बिड एवं फाइनेंसियल बिड के दोनों बंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में शील बंद कर ऊपर निविदादाता अपने फर्म का नाम एवं जिस मद हेतु निविदा भरी जा रही है उसका विवरण (जैसे सब्जी, फल, बेकरी और स्वीट्स आइटम्स) लिख कर प्राचार्य कार्यालय पी. एम. श्री. ई. एम. आर. एस. मोता (**PM SHRI EMRS MOTA**) में जमा करेंगे |
- निविदा प्रपत्र विद्यालय वेबसाइट www.emrsmota.org.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है | जिस फर्म ने निविदा पत्र को वेबसाइट से डाउनलोड किया है, उसे निविदा प्रपत्र जमा करते समय रु. **(1) सब्जी रु. 300/- (2) फल रु. 300/- (3) बेकरी एवं मिठाई रु. 300/-** (डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "**Principal EMRS Mota (BRANCH CODE- 00322), BRANCH NAME- STATE BANK OF INDIA BARDOLI**" के पक्ष में जमा करवाना होगा या यदि निविदा पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा रही है तो, निविदा प्रपत्र की राशी का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक भरी हुई निविदा के साथ लिफाफे में रखना होगा | निविदा प्रपत्र की राशी का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, EMD राशी के डिमांड ड्राफ्ट के दिनांक का या उससे पहले की दिनांक का होना आवश्यक है | निविदा के साथ फॉर्म का पैसा नगद रूप में किसी भी स्थिति में स्कुल द्वारा जमा स्वीकार्य नहीं होगा
- निविदाएँ निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी | निविदा के साथ लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे |
 - फर्म मालिक(**Vendor**) के हस्ताक्षर और मोहर वाली दरसूची रखनी होगी |
 - जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की नकल |
 - दुकान पंजीकरण (**Shop Registration**) प्रमाणपत्र की नकल |
 - वित्तीय वर्ष **2023-24/2024-25** के लिए आयकर विवरणी की प्रमाणित नकल |
 - एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेन्स (**FSSAI**) की नकल |
 - निविदा संबंधित शर्तों की हरेक पत्र पर वेंडर को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा
 - EMD राशी हेतु केवल डिमांड ड्राफ्ट, एवं निविदा प्रपत्र की राशि हेतु डिमांड ड्राफ्ट/चेक (केवल ऑनलाइन निविदा प्रपत्र प्राप्तकर्ता हेतु) |

निविदादाता के हस्ताक्षर मुहर के साथ/

टेन्डर नी सही सिक्का साथे

Page 1

8. यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है तो संबंधित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित वितरक का प्रमाणपत्र।

उपर्युक्त सारे दस्तावेज वर्ष **2026-27** के लिए वैध होने चाहिए अन्यथा निविदा को अस्वीकार किया जाएगा।

5. निविदा में दर्शाई गई दरें सभी करों जैसे की, विक्री कर, उत्पादन शुल्क, जी.एस.टी. तथा अन्य लागू करों एवं माल - सामान को पी. एम. श्री. ई. एम. आर. एस. मोता (**PM SHRI EMRS MOTA**) तक पहुंचाकर देनी होगी
6. निविदा में दर्शाई गई दरें पूर्ण रूप से फिक्स रेट दर्शानी होगी। वह दरें जैसे की रूपये 1-15 दर्शाई गई होगी, उसे मान्य नहीं रखा जाएगा।
7. निविदा में प्रस्तुत भाव सूची में दर्शाई जानेवाली दरें M.R.P. से कम होनी चाहिए। यानि M.R.P. की दरों के उपर महत्तम छूट देनी होगी।
8. निविदादाता (बिडर) को उपर्युक्त शर्त के अनुसार जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी के अनुसंधान में सामग्री वितरित करते समय सामग्री के बिल में जी.एस.टी. की राशी का आकलन करना आवश्यक है।
9. निविदा फार्म साफ सुथरे पेन द्वारा भरा जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की कांट-छांट नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार का परिवर्तन / संसोधन करना हो तो साफ तरीके से किया जाना चाहिए तथा परिवर्तन पर हस्ताक्षर व दिनांक का उल्लेख होना चाहिए। निविदाकर्ता (बिडर) के हस्ताक्षर के अभाव में निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा।
10. निविदाएँ, निविदा फार्म की शर्तों, जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है, के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदादाता को शर्तों की सहमति पर सहमति जताते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित करके उसे निविदा फार्म के साथ जमा करना होगा।
11. अधोहस्ताक्षरकर्ता (प्राचार्य, पी. एम. श्री. ई. एम. आर. एस. मोता) किसी भी निविदा को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रख सकता है एवं न्यूनतम दर देने वाले निविदादाता की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। निविदा को बिना कारण बताये निविदा की स्वीकृति न्यूनतम दर एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखकर अधोहस्ताक्षरकर्ता किसी भी समय रद्द कर सकता है।
12. निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र में वर्णित संबंधित निविदानुसार निम्नलिखित कोष्ठक में दर्शाई गई धरोहर राशी, EMD (अर्नेस्ट मनी) के रूप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजनी होगी। अन्यथा निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी। बैंक ड्राफ्ट, **"PRINCIPAL EMRS MOTA"** के नाम होना चाहिए। जिन निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार नहीं होगी उन्हें अर्नेस्ट मनी निविदा की अंतिम स्वीकृति होने की तारीख से एक माह के भीतर लौटा दी जाएगी। जिसके ऊपर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि निविदादाता सुरक्षित राशी भुगतान नहीं करने का कारण निविदा में लिखता है तो उसे स्वीकार करने या नहीं करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

अनु नं	विषय/ वस्तु का नाम	अर्नेस्ट मनी की राशी/ ₹.एम.डी. (2%)	धरोहर राशी	अनुमानित वार्षिक क्रय की राशी
1	सब्जियां	Rs.50,000-00	5% of contract value	Rs. 25 Lakhs
2	फल	Rs.30,000-00	5% of contract value	Rs. 15 Lakhs
3	बेकरी और स्वीट्स आईटम	Rs.16,000-00	5% of contract value	Rs. 8 Lakhs

13. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार होगी उनकी बयाना राशी को सुरक्षा राशी में तब्दील किया जाएगा एवं शेष सुरक्षा राशी, अनुबंध के समय जमा करनी होगी | सुरक्षा राशी 5 % होगी |
14. वितरित की गई सभी वस्तुएं, उनके लिए निर्धारित विशेष मापदंडो, ट्रेडमार्क के अनुसार एवं अनुमोदित स्टैण्डर्ड या अनुमोदित सप्लाय न हो, तो इस हालत में वितरण की सामग्री की किस्म के बारे में स्वीकृति प्रदान करने का अंतिम निर्णय प्राचार्य को, प्रस्तुत नमूने के आधार पर होगा तथा वह निविदादाता को मान्य होगा | वितरित की गई वस्तुएं यदि मापदंडो के अनुसार या प्रस्तुत नमूनों के अनुसार नहीं होगी तो निविदा खारिज करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा |
15. निविदा में दर्शित मापदंड इत्यादि के अलावा अन्य किसी तरह की चीजों के भाव निविदादाता अपनी मर्जी से निविदा फार्म में दर्शा नहीं सकता | निविदादाता द्वारा ऐसा करना अनुचित होगा एवं तुलनात्मक पत्रक बनाते वक्त इन चीजों के भाव ध्यान में नहीं लिए जाएंगे |
16. अधोहस्ताक्षरी को निविदा स्वीकृती के बाद सामान का नमूना मांगने का अधिकार होगा तथा निविदाकर्ता का दायित्व होगा की वह नमूना प्रस्तुत करेंगे|
17. कोई भी सरकारी संस्था/ स्वयं सहायता समूह (SHG) यदि निविदा में आवेदन करना चाहती है तो वो अपने संस्था का प्रमाणपत्र साथ में संलग्न करें |
18. निविदा लिफाफे पर जिस सामान के लिए निविदा ली गई है उसका उल्लेख किया जाना चाहिए | जैसे, सब्जी की निविदा में "सब्जी आपूर्ति हेतु निविदा " का उल्लेख करना चाहिए और निविदादाता को अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर निविदा लिफाफे पर लिखना होगा | प्रत्येक निविदा को अलग-अलग लिफाफे में भरकर एक बड़े लिफाफे में जमा करना होगा |
19. निविदा की दरें 31-03-2027 तक लागू रहेगी | सब्जियां एवं फल के मामले में यदि किसी कारणवश वर्ष 2027-28 के लिए नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण न हो पाई तो ऐसी परिस्थिति में नई निविदा की दरें मंजूर होने तक निविदादाता को वर्ष 2026-27 के वर्ष के लिए मंजूर हुई दरों से सब्जियां एवं फलों की आपूर्ति करनी होगी |
20. निविदा अवधि के दौरान दरों में किसी भी प्रकार का संसोधन स्वीकार नहीं होगा |
21. यदि किसी सामान की सप्लाय के साथ कोई भी गिफ्ट सामान दिया जा रहा है तो वो फ्री गिफ्ट सामान बिल /वाउचर में लिखते हुए सप्लाय किया जाएगा |
22. यदि सामान की आपूर्ति निर्धारित समय मर्यादा में नहीं की गई तो बिल के भुगतान के समय बिल की भुगतान की राशी पर प्रथम 30 दिनों तक 2 % के मासिक दर के हिसाब से और बाद के दिनों में 2.5% के मासिक हिसाब से दंड की राशी वसूली जाएगी | इस दंड की राशी की गणना साधारण ब्याज दर के तरीके से की जाएगी अर्थात यदि बिल की राशी 1000-00 रूपये है तो 2 % के वार्षिक दर के हिसाब से प्रथम 30 दिनों तक रूपये 20-00 का दंड वसूला जायेगा |
23. वितरित की गई सभी वस्तुएं, नमूने के अनुसार या उनके लिए निर्धारित विशेष मापदंडो, ट्रेडमार्क के अनुसार एवं अनुमोदित स्टैण्डर्ड या अनुमोदित सप्लाय न हो, तो इस हालत में वितरित की गई सामग्री को निविदादाता को अपने निजी खर्चे से वापस ले जाना होगा | ऐसी परिस्थिति में नमूने के आधार पर या निर्धारित विशेष मापदंडो, ट्रेडमार्क के अनुसार एवं अनुमोदित स्टैण्डर्ड की वस्तुएं सप्लाय करनी होगी | यदि निविदादाता नमूने के आधार पर या निर्धारित विशेष मापदंडो, ट्रेडमार्क के अनुसार एवं अनुमोदित स्टैण्डर्ड की वस्तुएं सप्लाय करने में असमर्थ रहा तो सप्लाय आर्डर निरस्त करके, निविदादाता का अनुबंध खारिज करके स्वीकृत न्यूनतम दर से दुसरे नंबर के निविदादाता के

पास से या खुले बाजार से सामान खरीद किया जाएगा। ऐसी स्थिति में दूसरे नंबर के निविदादाता या खुले बाजार से निर्धारित वस्तुएं खरीदी जाएगी और भाव के अंतर की राशी निविदादाता के बिल की राशी में से या सुरक्षा राशी में से वसूल की जाएगी। यदि निविदादाता नमूने के आधार पर या निर्धारित विशेष मापदंडों, ट्रेडमार्क के अनुसार एवं अनुमोदित स्टैंडर्ड की वस्तुएं सप्लाई करने में असमर्थ रहे तो खरीदी का अनुबंध तुरंत खारिज कर दिया जाएगा और उसका नाम ब्लैक लिस्ट की सूची में दर्ज किया जाएगा एवं निविदादाता की धरोहर राशी को जब्त किया जाएगा। ऐसे समय में विद्यालय खरीदी सलाहकार समिति का निर्णय आखिरी होगा एवं निविदादाता निर्णय को मानने के लिए बाध्य होगा और ऐसे समय में वितरित की गई सामग्री के बिल राशी का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

24. न्यूनतम दर स्वीकृत होने के बाद भी, यदि कोई निविदादाता सामान सप्लाई करने से मना करता है या असमर्थ रहता है तो उनकी ई. एम् .डी (EMD) की राशि जब्त की जायेगी और ऐसे निविदादाता को ब्लैक लिस्ट की सूची में रखा जाएगा।
25. न्यूनतम दर स्वीकृत होने के बाद यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस मामले में विद्यालय खरीदी सलाहकार समिति का निर्णय आखिरी होगा और यह निर्णय निविदादाता मानने हेतु बाध्य होगा। केवल उचित दरों को स्वीकार किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में भुगतान एमआरपी से अधिक नहीं किया जाएगा।
26. निविदा फार्म भरने से पहले अगर आपको निविदा में दिए गए वस्तुओं के विवरण के बारे में या मात्रा को समझने में दुविधा है तो कृपया निविदा फार्म भरने से पहले विद्यालय से संपर्क करके स्पष्टीकरण कर ले बाद में कोई भी प्रकार की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।
27. निविदा संबंधित खरीदी आदेश की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी या प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण के अधीन होगी और यदि आपूर्ति की सामग्री स्वीकृत नमूनों के अनुसार न होने पर या निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं होने पर आदेश निरस्त भी किया जा सकता है।
28. निविदाएं केवल निर्धारित निविदा रूपों में प्रस्तुत किया जाना है। लेटर पैड पर / जेरोक्स प्रपत्र में प्रस्तुत की गई निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी।
29. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में, निविदादाता की कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।
30. सरकारी रिकार्ड में काली सूचीबद्ध या चूककर्ता कंपनियों या अपनी सहायक कंपनियों / एजेंसियों को निविदा भरने के लिए अनुमति नहीं है। यदि इस कार्यालय को निविदा स्वीकृति के पश्चात ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई तो तुरंत उचित कार्यवाही करके निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
31. बिल का भुगतान पी .एफ.एम .एस. (P.F.M.S.-PUBLIC FINANCE MANAGEMENT SYSEM) के माध्यम से किया जायेगा।
32. निविदा भरते समय अपने बैंक का विवरण नियत फार्म में अवश्य भरे और उसके साथ बैंक चेक की कॉपी संलग्न करे
33. आपूर्ति करने से पहले भौतिक सत्यापन के लिए विद्यालय की समिति निविदादाता की विनिर्माण इकाई की यात्रा कर सकती है।
34. निविदादाता माल को अच्छी व सुनियोजित तरीके से पैक करने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि उसे सड़क द्वारा साधारण दशा में भेजते समय नुकसान नहीं हो सके तथा माल अच्छी दशा में नियत स्थान पर प्राप्त किया जा सके। किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट या लिक होने या अन्य कमी की घटना में निविदा देने वाले को माल प्राप्तकर्ता द्वारा माल की निरीक्षण करने में जो भी इस प्रकार की हानी पाई जाएगी, उसे पूरा करना होगा।

35. निविदादाता द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्री का सर्वप्रथम विद्यालय स्तर के भौतिक सत्यापन समिति द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच की जाएगी तदुपरांत आपूर्ति किए गए सामग्री को विद्यालय द्वारा स्वीकार की जाएगी। आपूर्ति किए गए सामग्री में किसी भी प्रकार की अनिमियत्ता पाए जाने पर विद्यालय स्तर के भौतिक सत्यापन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
36. विवादस्पद चीजों के मामले में भुगतान की राशी रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद चीजों का निपटारा होने पर उनके परिणाम के अनुसार विवादस्पद चीजों को लौटाया जायेगा। ऐसे मामलों में विद्यालय खरीदी सलाहकार समिति की संस्तुति के बाद ही नियमानुसार बिल राशी का भुगतान किया जायेगा। यदि विद्यालय खरीदी सलाहकार समिति ने संस्तुति प्रदान नहीं की तो बिल राशी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
37. यदि निविदादाता बार-बार निविदा की शर्तों का भंग करता रहेगा तो उस निविदादाता की निविदा को बिना कारण बताये रद्द कर दिया जायेगा जिसकी पूर्ण अधिकार विद्यालय खरीदी सलाहकार समिति को होगी।
38. निविदाएं प्राचार्य, पी.एम.श्री. एकलव्य मोडेल रेज़िडेन्शियल स्कूल मोता कार्यालय में खोली जाएगी। जिसकी पूर्ण जानकारी आपको पूर्व में दे दी जाएगी।
39. निविदा स्वीकृत करवाने के लिए किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की भेट या नकद राशी देने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने पर दोनों पर क़ानूनी कार्यवाही हो सकती है एवं निविदा को निरस्त करके सुरक्षा राशी जब्त कर ली जाएगी।
40. निविदादाता को निविदा मंजूर होने के बाद वैध सामान पूर्ति के आदेश के बाद ही विद्यालय में सामान पूर्ति करनी होगी। सामान पूर्ति आदेश, विद्यालय के लेटर पैड पर, सामान का विवरण, आपूर्ति की संख्या एवं प्राचार्य /उप-प्राचार्य या इन्चार्ज के हस्ताक्षर होना जरूरी है। निविदादाता को सामान पूर्ति का आदेश मिलने के बाद ही निर्धारित समय मर्यादा में सामान की आपूर्ति करनी होगी। इसके अलावा यदि निविदादाता सामान की आपूर्ति करेंगे तो उसके भुगतान की जिम्मेदारी विद्यालय की नहीं रहेगी।
41. निविदा सम्बंधित किसी भी प्रकार की क़ानूनी प्रक्रिया के लिए कानूनन न्याय क्षेत्र, जिला न्यायालय सूरत, जिला: सूरत रहेगा।

विशेष नियम और शर्तें

1. इस निविदा की वैधता 31 मार्च 2027 तक है। हालांकि, यदि PM SHRI EMRS MOTA द्वारा शैक्षणिक सत्र बढ़ा दिया जाता है, तो उसी निविदा दर को भी तब तक बढ़ाया जाएगा, साथ ही 2027-28 के लिए अगली निविदा का निर्णय होने तक (यहाँ तक कि जुलाई/अगस्त 2027 तक)।
2. जब निविदा, PASC द्वारा चयनित हो जाती है, तब विद्यालय द्वारा सप्लाई ऑर्डर दिया जाएगा, सप्लायर के लिए सप्लाई करना अनिवार्य होगा। बोलीदाता की ओर से स्वीकृति या अस्वीकृति, इच्छुकता या अनिच्छुकता की आगे की कोई प्रक्रिया नहीं होगी, अर्थात्, निविदा निश्चित होते ही चयनित बोलीदाता के लिए सप्लाई करना अनिवार्य हो जाता है; अन्यथा, EMD की पूरी राशि स्वचालित रूप से जब्त कर ली जाएगी। किसी भी आधार पर EMD की वापसी का दावा प्रिंसिपल द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. यदि निविदा में से आपकी कोई भी वस्तु चयनित हो जाती है, तो बोलीदाता के लिए वर्ष भर, इस निविदा की वैधता अवधि (जो कि ऊपर बिंदु नं. 1 में उल्लिखित है) तक सप्लाई करना अनिवार्य होगा, अन्यथा EMD स्कूल प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।
4. बोली चयनित होने पर, चयनित बोलीदाता को प्रिंसिपल के साथ Rs. 200/- मूल्य वाले स्टाम्प पेपर पर, समझौता (कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट) करना अनिवार्य होगा।
5. यदि किसी सप्लाई के दौरान कोई वस्तु सप्लाई नहीं की जाती है, तो विद्यालय उसे ओपन मार्केट से प्राप्त करेगा और सप्लायर को देय बिल से या विद्यालय में जमा सुरक्षा राशि से, यदि दर/लागत में कोई अंतर हो तथा परिवहन शुल्क सहित, वसूली करेगा।
6. यदि बोली प्रस्तुत करने वाले फर्म के मालिक या बोलीदाता के साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती है, तो कानूनी उत्तराधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह निविदा की सभी शर्तों और नियमों का पालन करते हुए सप्लाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, बिना किसी अपवाद के, जब तक निविदा प्रभावी है और जब तक बिंदु नं. 01 (विशेष नियम और शर्तों) में उल्लिखित वैधता अवधि समाप्त न हो जाए।
7. सभी लागू कर (I.T./TDS/GST आदि) बोलीदाता को देय बिलों से काटकर, विद्यालय द्वारा सरकारी खाते में जमा किए जाएंगे।
8. सप्लाई, विद्यालय द्वारा दिए गए सप्लाई ऑर्डर के अनुसार, विशिष्टताओं/मंजूर किए गए नमूनों के अनुरूप और मात्रा तथा गुणवत्ता के मानदंडों के अनुसार ही की जाएगी।
9. यदि किसी श्रेणी में आवश्यक कोरम के अनुसार पर्याप्त निविदाएँ प्राप्त नहीं होती हैं, तो अन्य/बाकी की बोली (जिसकी संख्या 03 से कम है) को खोला नहीं जाएगा और पुनः निविदा आमंत्रित करने के बाद ही खोला एवं प्रक्रिया में लाया जाएगा।
10. निविदा अवधि के दौरान चयनित बोलीदाताओं के मामले में, जो EMD/S.D. विद्यालय के पास रहेगी, उस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं प्राप्त होगा।
11. यदि सबसे निम्न दर अत्यधिक असामान्य और अव्यावहारिक पाई जाती है, तो PASC के लिए उस दर को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में, PASC बोलीदाता से बातचीत करके दर को सामान्य और उचित बनाने हेतु स्थानीय बाज़ार/पास के EMRSs के PASC स्वीकृत दरों की तुलना करते हुए दर कम करने का प्रयास करेगा।
12. यदि बोलीदाता द्वारा उद्धृत और PASC द्वारा अनुमोदित नॉन MRP/फिक्स्ड रेट्स हैं, और बाद में सप्लाई के समय दर MRP से अधिक पाई जाती है, तो विद्यालय केवल MRP के अनुसार ही भुगतान करेगा या सप्लायर से बातचीत करके दर को MRP से कम करेगा।
13. यदि सप्लाई अनियमित है, समय पर नहीं है, या विद्यालय के मेस और उसके संचालन पर प्रभाव डालती है, तो विद्यालय आइटमों को सीधे ओपन मार्केट/GeM/अन्य सप्लायर से प्राप्त करेगा तथा PASC द्वारा अनुमोदित निविदा दर से अधिक दर के कारण भुगतान की गई राशि का अंतर, साथ ही अन्य खर्च (परिवहन, TA, एवं DA) वसूल करेगा।
14. भुगतान, सप्लायर से प्राप्त बिलों की प्रक्रिया के बाद, EMRSs मानदंडों और विद्यालय में उपलब्ध निधि के अनुसार उचित समय में किया जाएगा।

15. निविदा चयन के पश्चात्, चयनित बोलीदाता को EMD राशि को समायोजित करने के बाद संबंधित मूल्य पर विद्यालय में सुरक्षा जमा करनी होगी।

विवाद अथवा संशय की स्थिति में निविदा संबंधित शर्तें हिंदी में लिखे बिन्दुएँ एवं विशेष नियम और शर्तें (EXCLUSIVE TERMS AND CONDITIONS) में लिखे बिन्दुएँ PASC द्वारा अंतिम रूप से मान्य होगी |

प्राचार्य

PLACE : PM SHRI EMRS MOTA

DATE : _____

दायित्व पत्र / UNDERTAKING

मै श्री _____ मालिक _____ (व्यवसाय का नाम लिखे) घोषित करता हूँ की उपरोक्त निविदा शर्तें क्रमांक 01 से 41 एवं **विशेष नियम और शर्तें** क्रमांक 01 से 15 तक मैंने पूर्ण रूप से, व्यक्तिगत रूप से पढ़ी है और मैं सभी शर्तों की अनुपालना करने के लिए सहमत हूँ |

दिनांक : _____

हस्ताक्षर : _____

स्थल : _____

पूर्ण नाम : _____

एजेंसी

ANNEXURE – I

Subject : Technical bid for supply of _____ items as per enclosed specifications.

Name & Address of Tenderer :.....

M/s.....

Tel./Mob.....

I/We hereby submit Tender for supply of _____ as per terms & conditions of the Tender of **PM SHRI EMRS MOTA, Dist : SURAT**, which are acceptable to us. I/We are aware that while evaluating the Tender, if any, of the items mentioned below is not found as per the requirement of the Tender conditions, the Tender will not be accepted. I/we am/are not black listed or other wise debarred from tendering/supplying from any State or Central Govt. Department/agency/undertaking.

Sr. No.	Details Enclosures	Whether enclosed or not, write 'YES' OR 'NO'	Remarks, if any
1.	EMD of Rs.		
	DD/MICR Chq.No.		
	Date		
	Bank		
2.	Shop Registration Certificate (Latest)		
3.	GST Registration Certificate		
4.	Income Tax Clearance Certificate (Latest) FY 2023-24/2024-25		
5.	FSSAI Certificate		
6.	Approved Dealer/ Distributor Certificate		
7.	Signed T & C each page by Tenderer		
8.	Cancelled Cheque (For verification of Bank details)		
9.	Any Other		
10.	Bank Details (in following format)		
11.	Aadhar Card		
12.	Pan Card		
13.	Firm Address		
14.	Service Support Contact No.		

Bank Detail for e-payment

Name of A/c. Holder	
A/c. No.	
Type of A/c. (SB/Current/etc)	
Name of Bank	
Name of Branch	
Branch Address	
IFSC Code	
Mob. NO.	